न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

बइजलास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस.
राजस्व विविध सं. 761/2018

प्रार्थीगण 1 मदनलाल पुत्र मुकनसिंह 2. सुमेरसिंह पुत्र कानसिंह
3. कालुसिंह पुत्र कानसिंह 4. भैरूसिंह पुत्र कानसिंह 5. मोहरो
बेवा कानसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीयान परालिया सासंण

बनाम

विप्रार्थी 1. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट

आदेश दिनांक 24.12.2019

उपस्थित : 1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

प्रार्थीगण ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआरएक्ट बाबत् तरमीम दुरस्ती बाबत् इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, प्रार्थीगण की पैतृक कब्जा स्वामित्व मालिकाना की सम्पति कृषि भूमियां खसरा सं. 21,61,111,178, 186,207,262, एवं जमाबंदी अनुसार 273/252 नक्शा अनुसार 250/273 कुल रकबा 84.05 बीघा मौजा परालिया सांसण में स्थित हैं। उक्त भूमियां प्रार्थीगण एवं उनके हक पूर्वाधिकारी के खातेदारी कब्जा काश्त में वक्त सेटलमेन्ट से दर्ज रही व हैं । वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के खातेदारी में भूमि जमाबंदी अनुसार खसरा सं. 273/252 रकबा 2.14 बीघा दर्ज हुई, किन्तु नक्शा अनुसार उक्त खसरे का नम्बर 250/273 दर्ज हो गया, रकबा जमाबंदी अनुसार ही हैं । मौजा परालिया सांसण में खसरा सं. 250/273 की कोई जमाबंदी नहीं हैं, और खसरा सं. 273/252 का कोई नक्शा नहीं हैं । वास्तव में खसरा संख्या 250/273 जो नक्शा में दर्ज हैं, वो ही नम्बर जमांबन्दी में दर्ज होने चाहिये थे, जबकि जमाबंदी में ऐसे नंबर अंकित नहीं होकर खसरा नं. 273/252 लिपिकीय त्रुटि की वजह से अंकित हुए है, जो एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड हैं, उक्त त्रुटि सेटलमेन्ट के समय से हुई हैं, जिसकी दुरस्ती न्याय हित में आवश्यक हैं । जमाबंदी और नक्शे में अलग अलग खसरा नम्बर अंकित हैं, जबकि दोनो ही दस्तावेजात में रकबा समान यानि 2.14 बीघा ही दर्ज हैं । खसरा सं. अलग अलग होने की वजह से प्रार्थीगण अपने उक्त खातेदारी भूमि का सरकारी योजना अनुसार लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और न ही प्रार्थीगण अपनी भूमि का नाप, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नेखम कायम करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वक्त सेटलमेंट रेकर्ड निर्धारित करते समय हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करना न्यायहित में आवश्यक हैं। वर्तमान में सेटलमेन्ट की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं हैं। उक्त लिपीकीय त्रुटि की कोई जानकारी प्रार्थीगण को पहले नही हुई, क्योकि इस बाबत कोई विवाद ही उत्पन्न नही हुआ, अभी हाल ही में सीमाज्ञान की कार्यवाही की तब प्रथम बार उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी तहसीलदार को जरीये नोटिस तलब किया जाकर मौके

.....2..

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

एवं रेकर्ड़ की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही, जो तहसीलदार पचपदरा से जरीये पत्र कमांक/भूअ/2018/3929 दिनांक 18.09.2018 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार रिपोर्ट में बताया कि मिसल बन्दोबस्त में व मिसल बन्दोबस्त से जमाबन्दी में नक्शा अनुसार खसरा सं. 250/273 लिखा जाना था, जो नही लिखा जाकर सेटलमेंट की भूल से 252/273 लिख दिया, जो गलत लिखा गया है। जमाबन्दी की जांच में खसरा सं. 250/273 की कोई जमाबन्दी प्राप्त नही हुई है, न ही खसरा सं. 273/252 का कोई नक्शा प्राप्त हुआ है।

हमने बहस सुनी पत्रावली व सलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है, कि उक्त त्रुटि लिपीकिय त्रुटि है, जिसको दुरस्त करना न्यायहित में आवश्यक प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा परालिया सोसण की जमाबंदी अनुसार खसरा सं. 273/252 दर्ज है, को नक्शा में दर्ज खसरा सं. 273/250 रकबा 2.14 बीघा की दुरस्ती कर जमाबन्दी में जहा खसरा सं. 273/252 दर्ज है, के स्थान पर खसरा सं. 250/273 को जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, राजस्व रेकर्ड़ जमाबन्दी इसी अनुसार दुरस्त है। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एसडीओ बालोतरा